न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2019 (उदयपुर डिक्री)

1. कजोड पिता केरिंग डांगी (मृतक) के बजाय :–

1/1. मु. कन्नीबाई बेवा कजोड़ जी डांगी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर

1/2. मु. मांगूड़ी बेवा कजोड़ जी डांगी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर

1/3. शंकरलाल पिता कजोड़ जी डांगी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर

2. हजारी पिता भेरा जी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

3. अमरा पिता चतरा जी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4. धूला पिता चतरा डांगी (मृतक) के बजाय :–

4/1. भग्गा पिता धूला जी डांगी, नि. तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4/2. भूरालाल पिता धूला डांगी, नि. तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4/3. दूदा पिता धूला जी डांगी, नि. तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4/4. ऊंकारलाल पिता धूला डांगी, नि. तारावट, त. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

4/5. ताराचन्द पिता धूला डांगी, नि. तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

5. नाथू पिता तेजा जी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

6. लालू पिता तेजा जी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

7. मोहन पिता तेजा जी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

8. पप्पू पिता तेजा जी डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

9. मु. केसी बेवा तेजा डांगी, निवासी तारावट, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. सहायक अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उपखण्ड भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान

का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली

दिनांक 30.01.20[illegible] प्र.स. [illegible]1/2010

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 09—03—2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आकोदडा में आराजी नंबर 114 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। आराजी नंबर 114 का साबिक आराजी नंबर 564 बीघा 9 बीघा होकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के मौरूस श्री परथा पिता रतना का 1/4 हिस्सा, गांगा पिता भेरा का 1/4 हिस्सा, केरिंग, चतरा पिता वरदा का 1/4 हिस्सा एवं हीरा पिता माना का 1/4 हिस्सा दर्ज था। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण के खातेदारी की होकर वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 से 9 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी बिना किसी आधार के सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी है, जबकि सिंचाई विभाग का इस भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 अंकित आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी की नहीं होकर सिंचाई विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में 45 वर्षो से अंकित है तथा उसी का आधिपत्य है। अतः वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 6 तनकियात कायम की गयी एवं पक्षकारों की साक्ष्य लेकर व उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30—01—2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11—02—2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे साथ जमाबन्दियों व खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज सत्य प्रतियां होने से रेकार्ड पर लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उपलब्ध शहादत के विपरीत है तथा तनकियां भी दावे एवं जवाबदावे अनुसार सही कायम नहीं की गयी हैं। मौके पर यह जमीन अन्य खातेदारों की जमीन के मध्य आ गयी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा वादीगण/अपीलान्ट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (9) 2002 Page 332, RBJ (13) 2006 Page 205, RRT 2015 (2) Page 1214 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 में विवादित आराजी नंबर 114 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की जमाबन्दी संख्या 2022 में साबिक आराजी नंबर 564 मी. कोलम संख्या 23 व 24 में वर्तमान कृषक के रूप में सिंचाई विभाग का नाम अंकित है तथा कोलम संख्या 26 में वादीगण के मौरूष का नाजायज कब्जा दर्ज है। इस जमाबन्दी से स्पष्ट है कि वर्तमान आराजी नंबर 114 के साबिक आराजी नंबर 564 मी. थे, जो संवत् 2022 से सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में भी जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनका भी हमारे द्वारा अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा गिरदावरी संवत् 202[illegible] से 2039 तक में खातेदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

कोलम में साबिक आराजी नंबर 564 सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है तथा टिप्पणी में अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी का नाजायज कब्जा दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी का यदि कोई कब्जा था तो वह बतौर अतिक्रमी था एवं अतिक्रमी का कोई लोकल स्टैण्डाई नहीं होता है। वर्तमान में अपीलान्टगण का कब्जा हो अथवा उनके पूर्वाधिकारी का जायज कब्जा रहा हो इस बाबत् उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उपरोक्त दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

कजोड़ के बजाय मु.कन्नीबाई बेवा कजोड, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **राज्य सरकार जरिये जिल कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**3/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**03**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**03**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:57 IST
Reason: SelfAttested